



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

एकीकृत शिक्षा परिसर, पेंशन बाड़ा, रायपुर

फोन नम्बर- 0771-4283025, 4283036 फैक्स नम्बर-0771-2445215
E-mail-Id dpi.mdm@gmail.com



कमांक/म0मो0/रसो.निर्देश/2012/ 107 रायपुर, दिनांक 22-06-2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
4. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
छत्तीसगढ़

विषय :- मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत शालाओं में रसोइयां रखने बाबत निर्देश।

-----00-----

यह देखने में आया है, कि कुछ जिलों में, मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत, शालाओं में रसोइयों की नियुक्ति जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जा रहा है, जिससे रसोइयों में उनके नियमित पद पर नियुक्ति होने या शासकीय कर्मचारी होने का भ्रम पैदा हो रहा है।

2 उक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से करने तथा रसोइयों की नियुक्ति संचालनकर्ता समीति द्वारा किये जाने के निर्देश पूर्व में दिया गया है। ऐसे रसोइयों को वर्ष 2009-10 तक कुकिंग कास्ट की राशि से दैनिक आधार पर मानदेय भुगतान किया जाता था, जिसे भारत शासन के नये मापदण्डों के आधार पर माह दिसम्बर 2009 से 1000/-रु प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है। नये मापदण्ड में रसोइया नियुक्ति के बारे में कोई नये निर्देश नहीं दिये गये हैं। इसका तात्पर्य है, कि रसोइयों की नियुक्ति पूर्ववत् संचालनकर्ता समीतियों के द्वारा ही की जावेगी। रसोइयों के लिये शाला सेटअप में कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः उनके लिये किसी भी स्तर पर नियुक्ति आदेश जारी करना उचित नहीं है।

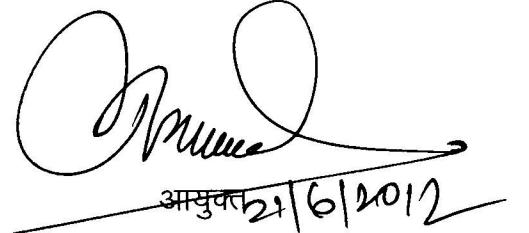
3 अतः स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन योजना के तहत रसोइयां रखे जाने के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं -

1. शाला सेटअप में रसोइया का कोई नियमित पद स्वीकृत नहीं है अतः किसी भी स्तर से रसोइयां नियुक्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया जावे। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा आदेश जारी किया गया है, तो उसे तत्काल निरस्त किया जावे। ऐसी त्रुटिपूर्ण नियुक्ति के लिये संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. रसोइयां रखने की कार्यवाही संचालनकर्ता समीति द्वारा की जावे। इस हेतु संचालनकर्ता समीति द्वारा रसोइयों के लिये उपस्थिति पंजी संधारित की जावे तथा उपस्थिति के आधार पर प्रतिमाह निर्धारित मानदेय भुगतान की जावे।

3. यदि संचालनकर्ता स्व-सहायता समूह है, तो प्राथमिकता के आधार पर समूह के सदस्यों में से ही रसोईयां रखा जावे। यदि समूह में से कोई भी सदस्य रसोईयां का कार्य करने में समर्थ न हो, तो ऐसी स्थिति में समूह के द्वारा बाहर से रसोईयां रखा जा सकता है।
4. यदि मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन ग्राम पंचायत, विद्यालय प्रबंध समिति या अन्य कोई सामाजिक समिति द्वारा किया जा रहा है, तो रसोईयां रखने का दायित्व ग्राम पंचायत अथवा संबंधित समिति का होगा।
5. विशेष परिस्थितियों में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन, शाला के प्रधान पाठक, द्वारा भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में रसोईयां, प्रधान पाठक द्वारा स्थानीय स्तर पर रखा जावे, लेकिन रसोईयां की नियुक्ति न की जावे, बल्कि उपस्थिति के आधार पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जावे। इस हेतु उपस्थिति पंजी संधारित किया जावे।
6. सभी रसोईयों को दैनिक उपस्थिति के आधार पर, मानदेय दिया जाना है। अतः संचालनकर्ता समूह द्वारा रसोईयों की उपस्थिति पंजी तैयार किया जावे, जिसमें प्रत्येक मध्यान्ह भोजन दिवस पर रसोईयों के हस्ताक्षर लिये जावे। उपस्थिति के आधार पर ही रसोईयों का मानदेय दिया जावे।
7. चूंकि रसोईयों को कार्य में रखने का दायित्व, मध्यान्ह भोजन योजना संचालनकर्ता समूह का है, अतः उनको हटाने या कार्य पर रखे जाने का अधिकार भी समूह के पास होगा। भविष्य में संचालनकर्ता द्वारा रसोईयां को किसी कारणवश कार्य से हटाने की स्थिति में केन्द्र या राज्य शासन जवाबदेय नहीं होगा।
8. रसोईयों को प्रत्येक माह, नियमित मानदेय की सुविधा प्रदान करने के लिये, बैंक खाता खोला जावे तथा बैंक खाते के माध्यम से मानदेय भुगतान किया जावे।
9. छात्र संख्या के अनुपात में रसोईयों के नाम एवं उनसे संबंधित अन्य जानकारी संचालनकर्ता द्वारा शाला के प्रधान पाठक को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे केन्द्र शासन व राज्य शासन के आनलाईन साफ्टवेयर में उपरोक्त जानकारी प्रविष्टि की जा सके।
10. मध्यान्ह भोजन योजना के संचालनकर्ता समूह का कार्य संतोषप्रद नहीं होने या उनके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर, शिकायत की जांच करने

एवं समूह को कार्य पर रखने या नही रखने का अधिकार, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला मध्यान्ह भोजन योजना समीति को होगा ।

कृपया उक्त निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को दी जावे तथा इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

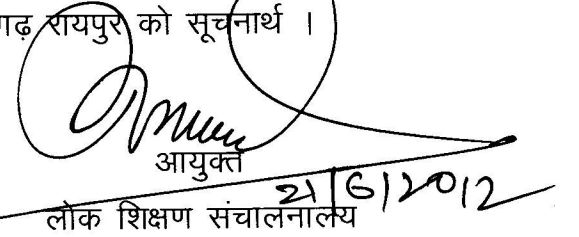


आयुक्त 21/6/2012
लोक शिक्षण संचालनालय

रायपुर छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/म0भो0/रसो.निर्देश/2012/ 708 रायपुर, दिनांक 22-06-2012
प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर को सूचनार्थ ।
- 2 आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ ।



आयुक्त 21/6/2012
लोक शिक्षण संचालनालय

रायपुर छत्तीसगढ़